

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
शुद्धि-पत्र

विभागीय अधिसूचना सं०-173, दिनांक-21.09.2026 के क्र०सं०-02 के स्तम्भ-10 में अंकित
“ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, भोजपुर ” के स्थान पर “ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, आरा, भोजपुर ” पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव

संख्या-11/प्रशि०-स्था०(नियुक्ति)-10/2026

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी०सहीत बिहार गजट में प्रकाशनार्थ) को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

संख्या-11/प्रशि०-स्था०(नियुक्ति)-10/2026

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

संख्या-11/प्रशि०-स्था०(नियुक्ति)-10/2026 1325

पटना-01, दिनांक-22/09/2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक-33, दिनांक-24.07.2026 के आलोक में/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/सभी नवनियुक्त उप प्राचार्यों तथा आई०टी० प्रबंधक, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर ही प्रभार ग्रहण करने की अनुमति देंगे।

Ry

22.09.2026

सरकार के अवर सचिव